

Form No. III**फर्द—अहकाम**

(नियम 26)

अज अदालत

**न्यायालय लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
(राजस्व) (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़**मुकाम **चित्तौड़गढ़**

कुंज बिहारी सामरिया

बनाम

लोक सूचना अधिकारी नगर पालिका रावतभाटा**जिला चित्तौड़गढ़**

कार्यवाही अन्तर्गत :-

धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005किस्म मुकदमा **अपील (सूचना का अधिकार)**नं० **047**सन् **2023**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
21.06.2023	<p>सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रथम अपील प्राप्त हुई जो पेश हुई। अपीलार्थी कुंजबिहारी सामरिया पिता गोपाल लाल सामरिया निवासी ए-45 नोर्थ एम्स टाउनशिप सोगरिया स्टेशन कोटा (राज.) मोबाईल (9413346630) ने सूचना प्राप्ति हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत यह प्रथम अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी नगरपालिका रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ को प्रस्तुत अपने आवेदन पत्र दिनांक 12.04.2023 के संबंध में प्रथम अपील प्रेषित की गई है। उक्त आवेदन के संबंध में अपीलार्थी को संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत हस्तगत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। उक्त आवेदन के संबंध में अपीलार्थी को लोक सूचना अधिकारी नगरपालिका रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से व्यथित होकर अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत अपीलार्थी द्वारा हस्तगत प्रथम अपील प्रस्तुत की गई है। यहाँ उल्लेखनीय है कि यह प्रथम अपीलीय न्यायालय लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) का अपीलीय प्राधिकारी होकर लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत निर्धारित अवधि में सूचना उपलब्ध नहीं कराने पर ही प्रथम अपील ग्रहण करता है। हस्तगत प्रकरण में लोक सूचना अधिकारी नगरपालिका रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है एवं लोक सूचना अधिकारी नगरपालिका रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ लोक सूचना अधिकारी(राजस्व) की श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आते है। ऐसी स्थिति में लोक सूचना</p>	



<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
	<p>अधिकारी नगरपालिका रावतभाटा जिला चित्तौड़गढ़ के विरुद्ध सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत अपील की क्षेत्राधिकारिता इस न्यायालय को प्राप्त नहीं है। अतः हस्तगत प्रथम अपील क्षेत्राधिकारिता को बिन्दु पर इस न्यायालय में पोषणीय नहीं होना पाया जाता है। अतः अपीलार्थी को संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित किया जाना उचित प्रतीत होता है। इसके साथ ही अपीलार्थी द्वारा अपने अपील मेंमों के कलम संख्या 5 के अनुसार शुल्क का संदेह प्रमाण-पोस्टल ऑर्डर नम्बर 94 जी 946925 तादादी रूपये 50/- अक्षरे पचास रूपये मात्र का प्रेषित किया गया है जो कि पत्रावली पर उपलब्ध होकर हम किता है। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत धारा 19 के तहत किसी अपील हेतु किसी भी प्रकार का कोई शुल्क निर्धारित नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में अपीलार्थी द्वारा प्रेषित पोस्टल ऑर्डर अपीलार्थी को लौटाया जाना उचित प्रतीत होता है। उपर्युक्त विश्लेषण के साथ के आधार पर अपीलार्थी द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील क्षेत्राधिकारिता के बिन्दु पर पोषणीय नहीं होने से खारीज की जाती है, अपीलार्थी को सक्षम संबंधित अपीलीय प्राधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत करने के निर्देशों के साथ अपील निस्तारित की जाती है एवं अपीलार्थी द्वारा प्रेषित पोस्टल ऑर्डर अपीलार्थी को लौटाया जावें एवं पोस्टल ऑर्डर की छाया प्रति रिकार्ड पर रखी जावे। अहकाम की प्रतिलिपि अपीलार्थी को जरिये रजिस्टर्ड डाक के निःशुल्क मय पोस्टल ऑर्डर के प्रेषित की जावें। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार भिजवाई जावें।</p> <p style="text-align: center;">-S/D- (अरविन्द कुमार पोसवाल) लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ 21.06.2023</p> 	